बजट आवंटन/आयोजनागत
संख्या : 297/ix /13/2006

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्राण्ट,
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयनअनुभाग–2 देहरादून : 30 नवम्बर 2007

विषयः नागरिक उड्डयन विभाग ,उत्तराखण्ड के लिये वित्तीय बर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053 नागर विमानन अंतर्गत ओजनागत पक्ष के बजट आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–599/xxvii(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई 2007 तथा निदेशक, राजकीय नगरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–533/14–छः–लेखा बजट प्लान/2007'08 दिनांक 22 अगस्त 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नागरिक उड्डयन विभाग ,उत्तराखण्ड के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 मे अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में निम्न तालिका के विवरणानुसार नई मॉग के द्वारा व्यवस्थित रू0 62,00,000 (रू0 बासठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

(धनराशि हजार में)

क्रम सं0	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान धनराशि बर्ष (2007–08)	निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि

1	पूंजी लेखा..... 3053–नागर विमानन 02– विमान पत्तन–आयोजनागत 102––हवाई अडडा 05– हवाई यातायात के लिये अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	1000
	06–भूमि के प्रतिकर का भुगतान 42–अन्य व्यय	100	100
	07–उडडयन विश्वविद्यालय की स्थापना 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	100	100
	08 –एविऐशन सक्योरिटी एवं मन्टिनेन्य डिविजन 29––अनुरक्षण	5000	5000
	योग	6200	6200

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–255/XXVII(1)/2007 दिनांक 26 मार्च 2007 तथा शासनादेश संख्या–599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 में निहित प्रक्रियाओं एवं शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करते हुए व्यय किया जायेगा।

3– उक्त निबर्तत पर पर रखी जा रही धनराशि के व्यय हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव पृथक–पृथक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मूलभूत आवश्यकता का विवरण देकर भूमि की उपलब्धता, कार्यदायी संस्था की रूपरेखा स्पष्ट का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त ही व्यय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार औचित्य बताते हुए इससे आगणन/कार्ययोजना उपलब्ध कराने के बाद शासन स्तर पर सक्षम तकनीकी ऐजेन्सी

के आगणन का परीक्षण कराकर ही कोषागार से शासन से स्वीकृति के बाद आहरित किया जायेगा।

5– उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स, टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति की जा रही है। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0–एम0–08 एवं बी0 एम0–13 पर ही प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नागरिक उड्डयन विभाग/ वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8– सामग्री/सम्पूर्ति आदि की मद में धनराशि व्यय करने के पूर्व डी0जी0एस0एण्ड डी0/ टैण्डर/कोटेशन आदि का सम्पूर्ण विवरण देते हुए पृथक से शासन की स्वीकृति प्राप्त कर धनराशि व्यय की जायेगी।

9– उक्त निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि से यदि कोई निर्माण/विकास कार्य कराये जायेंगे या कोई प्रतिकर आदि भुगतान किया जायेगा तो उनके सक्षम तकनीकी एजेन्सी/विभाग से आगणन लो0नि0वि0 की दरों पर बनवाकर तथा प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से अनुमान प्राप्त कर उस पर शासन स्तर पर गठित टी0ए0सी0 की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय हेतु शासन से अवमुक्त की जायेगी

10– जिन कार्यो के लिये आवश्यक हो उनके लिये शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्माण एजेन्सी से लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर आगणन बनाकर उसपर सक्षम तकनीकी एजेन्सी से तकनीकी परीक्षण कराकर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

11– व्यय की जा रही मद में यदि वित्तीय वर्ष 2004–05 ,2005–06,2006–07 में कोई धनराशि स्वीकृत की गई है,तो उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12– उक्त धनराशि का तत्काल उपयोग कर निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

13– अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय–सारणी के अनुसार दिनांक 31–3–08 तक समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

15– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

16– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन –आयोजनागत 800–अन्य व्यय 00–की पूर्व पृष्ठ के प्रस्तर–1 में उल्लिखित तालिका की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–453(A) / XXVII(2) /2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–291 /IX/713/2007–08, समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिववित/बजट अधिकारी,, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–2
5– गार्ड बुक।
6– एन0आई0सी0सचिवालय ।

आज्ञा से

(पी0सी0 शर्मा) 30/XI
प्रमुख सचिव।